तिथि हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 914/2016 अनवान कुम्भाराम बनाम मूलाराम**
13.12.17	प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य घोषणा एवं बंटवाड़ा का दावा संख्या 41/2001 विचाराधीन था। उक्त वाद में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो गया था। अन्तिम निर्णय के स्टेज पर उक्त वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया था। उक्त वाद के पुर्नबरामद हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का प्रस्तुत किया था, जो प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 29.06.2015 को केम्प कोर्ट शिवकर में पक्षकारान की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था। पक्षकारान के नोटिस तामिल नही होने से उक्त केम्प कोर्ट में उपस्थित नही हो पाये थे। लिहाजा आवेदन भी खारिज किया गया था। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अन्तिम डिक्री जारी किये जाने की कार्यवाई शेष है। लिहाजा उक्त वाद को पुर्नबरामद कर अन्तिम निर्णय पारित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है तथा आवेदन के बहस हेतु प्रकरण विचाराधीन था। इस स्थिति में अदम पैरवी में खारिज उक्त वाद को पुर्नबरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान समुचित न्याय प्राप्त हो सके। अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 41/2001 अनवान कुम्भाराम बनाम मूलाराम पुर्नबरामद कर अग्रिम कार्यवाई की जावे। आवेदन पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर।

Scanned by CamScanner